रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL & SECRETARIAT LIBRARY GOVERNMENT OF INDIA

सं. 379] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 19, 2002/चैत्र 29, 1924
No. 379] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 19, 2002/CHAITRA 29, 1924

ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इंडिया
अधिसूचना

मुम्बई, 28 मार्च, 2002

ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के व्यवसाय नियमावली में संशोधन

का.आ. 451(अ).—ओटीसीईआई के निदेशक मंडल द्वारा 28 मार्च, 2002 को आयोजित अपनी बैठक तथा सेबी द्वारा 30 जनवरी, 2002 के अपने परिपत्र सं. एसएमडी/पॉलिसी/सर्क. 03/2002 के जरिए किये गये अनुमोदन अनुसार।

खंड 9.12 प्रतिभूतियां जब खरीदी न गई हों

जब प्राधिकृत प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि हरसंभव प्रयासों के बावजूद प्रतिभूतियां, मनमानी कीमत पर अथवा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर किये गये निर्णय अनुसार अन्य रीति के अलावा खरीदी या बेची नहीं जा सकती हैं तो सौदों को निम्नलिखित अनुसार मूल्य पर घटी कीमत पर बिक्री किया गया माना जाएगा :

घटी कीमत पर बिक्री मूल्य/एक्सचेंज में उस स्क्रिप के निपटान में जिसमें संबंधित संविदा निष्पादित की गयी है, नीलामी/घटी कीमत पर बिक्री की तारीख तक दर्ज किया गया उच्चतम मूल्य होगा।

अथवा

जिस तारीख को नीलामी प्रस्ताव मंगाये गये हों उस दिन एक्सचेंज पर आधिकारिक बंद भाव से 20% ऊपर (और यदि उस दिन ऐसा कोई बंद भाव न रहा हो तो उस स्थिति में ऐसे तत्काल पूर्व के कारोबार दिन का आधिकारिक बंद भाव जिस दिन आधिकारिक बंद भाव तय किया गया हो)।

इनमें से जो भी अधिक हो

यह कीमत खरीदी गई प्रतिभूति के लिए हकदार सदस्य/अभिरक्षक सदस्य को अदा की जाएगी।

[सं. 0914/02/एल एण्ड एस/036]

कृते ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इंडिया

प्रवीण मुहनोत, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

OTC EXCHANGE OF INDIA
NOTIFICATION

Mumbai, the 28th March, 2002

AMENDMENTS TO THE BUSINESS RULES OF OTC EXCHANGE OF INDIA

S.O. 451(E).—As approved by the Board of OTCEI at its meeting held on March 28, 2002 and by SEBI vide its circular letter No. SMD/Policy/Cir. 03/2002 dated January 30, 2002.

Clause 9.12 Securities when not Bought-in

When the authorised authority is satisfied that inspite of the best efforts, the securities cannot be bought-in or sold out except at an arbitrary price or at such other instances as the authorised authority may decide from time to time, the deals shall be deemed to be closed out at a price as mentioned below :

The close out price will be the highest price recorded in that scrip on the Exchange in the settlement in which the concerned contract was entered into and upto the date of auction/close out.

OR

20% above the official closing price on the exchange on the day on which auction offers are called for (and in the event of there being no such closing price on that day, then the official closing price on the immediately preceding trading day on which there was an official closing price).

WHICHEVER IS HIGHER

This price shall be paid to the Member/Custodian Member entitled to the security bought-in.

[No. 0914/02/L&S/036]

For OTC Exchange of India

PRAVEEN MOHNOT, Managing Director & CEO

1312 GI/2002

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.